न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 36/2022

अपीलार्थी

दरजाराम पुत्र आलाजी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. धनाराम पुत्र उनाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–सियाकरा, तहसील व जिला– सिरोही
2. पटवारी हल्का, सनपुर, तहसील व जिला– सिरोही
3. सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 02 नवम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 19.9.2022 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या– 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही ने विधि एवं तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का भली भांति एवं पूर्ण विवेचन नही कर धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी को ग्राम पादरुखेडा के विवादित खसरा संख्या 94, 95 कुल रकबा 2.2600 हेक्टेयर में से 0.5500 हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमी घोषित करने एवं उप तहसीलदार, कालन्द्री को भू अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का, सनपुर को साथ में रखकर विवादित भूमि को प्रत्यर्थी व अपीलार्थी की भूमि का सीमाज्ञान कर प्रत्यर्थी धनाराम की भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा 15 दिन में सुपर्द करने के आदेश देने में भारी कानूनी भूल की है। प्रत्यर्थी धनाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम पादरुखेडा के खसरा संख्या 94 की भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा करने के संबंध में कथन किये है, इसके बावजूद भी अपीलार्थी को खसरा संख्या 94 की भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए निर्णय की तारीख से 15 दिन में कब्जा सुपर्द करने के आदेश दिये है, जो कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] व साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित क[illegible]ये था। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आ[illegible] है, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर [illegible] विवादित भूमि पर [illegible]र्थी

.....पे[illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का कई वर्षो से निरन्तर, निर्बाध रुप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि हल्का पटवारी, सनपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह भ्रामक एवं साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नही है। हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट में यह कहीं पर भी अंकित नही है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी धनाराम के विवादित भूमि के किस भाग, किस स्थान पर या किस दिशा में अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी धनाराम का कभी भी कब्जा–काश्त नही रहा है, जबकि अपीलार्थी शुरु से ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी धनाराम की भूमि के बीच में मौके पर माट बनी हुई है तथा मौके पर बाड व बाड में बडे–बडे पेड खडे है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर अपने बाप दादाओं के समय से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान विवादित भूमि को गलत दर्शाने से स्थिति में परिवर्तन हुआ है। संबंधित कानून के तहत 12 वर्षो से अधिक समय से पुराने कब्जे से कब्जेधारी को बेदखल नही किया जा सकता है। कब्जे की प्राप्ति हेतु वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधिं 12 वर्ष नियत है, जिससे भी प्रत्यर्थी धनाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि वर्जित था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शा रिकार्ड ऑफ राईट्स है, इसके आधार पर कब्जे के तथ्य को साबित नही किया जा सकता है अर्थात् इन दस्तावेजों से कब्जा सिद्ध नही होता है। कब्जा सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्ष्य ही उत्तम एवं उचित माध्यम है। यह कि वर्तमान खसरा संख्या 93, 94 व 95 के भूप्रबन्ध से पहले के खसरा नम्बर 26 थे जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में खसरा संख्या 94 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही होने के बावजूद अधनीस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा संख्या 94 व 95 कुल भूमि 2.2600 हेक्टेयर में से रकबा 0.5500 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण बताया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के बयान नही लिये है व न ही अडौस–पडौस के खातेदारों के बयान लिये है ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 95 की भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित नही होता है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.9.2022 को निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी धनाराम पुत्र उनाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– सियाकरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में राजस्थान काश्तकारी अधियिम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित किया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रत्यर्थी धनाराम पुत्र उनाजी, जाति–मेघवाल, निवासी– सिरोही द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी धनाराम व उसके भाईयों की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर में खसरा संख्या 94 रकबा 0.0100 किस्म गै.मु. कंआ व खसरा संख्या 95 रकबा 2.2500 हेक्टेयर किस्म चाही 3 आई आई हुई है जिसमें से खसरा संख्या 95 की कुछ भूमि पर पडौसी खातेदार दरजाराम ने अवैध रुप से कब्जा किया हुआ है, इसलिये प्रत्यर्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 95 में से अपीलार्थी दरजाराम द्वारा अवैध रुप से किये गये कब[illegible] की डिक्री जारी करावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सि[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तह[illegible] जाकर अपीलार्थी को

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का, सनपुर से जांच रिपोर्ट भी तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का, सनपुर की जांच रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 06.6.2022 एवं नक्शा ट्रेश के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रत्यर्थी धनाराम व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का, सनपुर के खसरा संख्या 94 व 95 कुल किता 2 रकबा 2.26 हेक्टेयर भूमि में से खसरा संख्या 95 की रकबा 0.5500 हेक्टेयर भूमि पर खसरा संख्या 93 के पडौसी खातेदार दरजाराम पुत्र आलाजी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा द्वारा कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी दरजाराम ने अनुसूचित जाति के खातेदार प्रत्यर्थी धनाराम व अन्य सहखातेदारें की कृषि भूमि पर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारंहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02 नवम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:10:02 IST
Reason: SelfAttested